न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 506/16
निर्णय दिनांक: 08.06.2018

1. मन्दिर श्री रणसिंह जी महाजन विराजमान नरेना जरिये बलाई महासभा संस्थान दूदू जयपुर जरिये अध्यक्ष कैलाशचन्द पुत्र कल्याण जाति बलाई नि0 गिदानी तह0 मौजमाबाद हाल नि0 मोदानी नगर नरेना तह0 फुलेरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. आम जनता तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि मन्दिर श्री रणसिंह जी महाराज वाकै ग्राम नरेना में स्थित है जो बलाई समाज का मन्दिर है जिसकी सेवा पूजा, देखरेख, वार्षिक मेले का आयोजन ओर अन्य धार्मिक महोत्सव बलाई समुदाय की ओर से अधिकृत संस्था "बलाई महासभा संस्थान दूदू जो एक रजिस्टर्ड संस्था है करती आ रही है। आराजी खं0नं0 1716 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 1717 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 1722 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 1726/5619 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 19 विस्वा वाकै नरायना प0ह0 नरायना ए व बी गिरदावर हल्का नरायना तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0 मे स्थित है जिसमें श्री रणसिंह महाराज का मन्दिर बना हुआ है ओर उक्त आराजीयात माफी मन्दिर रणसिंह महाराज की है ओर उक्त आराजीयात की आय से मन्दिर की सेवा पूजा, भोगराग, वार्षिक मेले आदि इंतजाम वादी संस्था करती आ रही है। उपरोक्त आराजीयात माफी मन्दिर रणसिंह महाराज की कब्जें, काश्त व खातेदारी की है ओर वादी बलाई समाज समुदाय की ओर से उक्त मन्दिर की सेवापूजा हेतु नारायणदास चेला रामदास करते थे ओर उक्त आराजीयात संभालते थे वरवक्त पर्चा खातेदारी उक्त आराजी मन्दिर रणसिंह महाराज के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से मन्दिर के महन्त श्री नारायणदास चेला रामदास स्वामी बलाई के नाम अंकित हो गयी। जबकि उनका कोई व्यक्तिगत संबंध उक्त

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

आराजी से कभी नहीं रहा था उक्त आराजी मन्दिर रणसिंह महाराज की सेवा, पूजा भोग राग हेतु दी गयी थी ओर वादी बलाई महासभा संस्थान समाज की ओर से उक्त आराजी की आय से मन्दिर की सेवापूजा, भोगराग का इंजाम कराती आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात नारायणदास चेला रामदास स्वामी बलाई (पीरजी) के नाम दर्ज हो जाने से महन्त श्री नारायणदास ने अपने जीवनकाल में अपनी वृद्वावस्था में दूरदर्शिता को ध्यान मे रखते हुये उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र वसीयतनामा दिनांक 06.08.09 को गवाहान के समक्ष करते हुए कथित सम्पूर्ण आराजी खं0नं0 1716, 1717, 1722, 1726/5619 किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 19 विस्वा वाकै नरायना को मन्दिर के हक में देते हुये वसीयतनामा तहरीर कराकर तकमील कर दिया ओर घोषणा की कि कथित आराजीयात का उनके नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकन हो गया। उनके 100 वर्ष बाद कथित भूमि मन्दिर माफी की मानी जावेगी ओर श्री रणसिंह जी महाराज के मन्दिर के नाम सम्पूर्ण आराजी दर्ज की जावें कथित घोषणा पत्र/वसीयतनामा संलग्न वाद है। नारायणदास का दिनांक 19.11.09 को स्वर्गवास हो गया जिनके नाम की खातेदारी की जमीन खं0नं0 1716, 1717, 1722, 1726/5619 किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 19 विस्वा वाकै नरेना में स्थित है। महन्त श्री नारायणदास अविवाहित नाओलाद थे जिनके कोई जायंदा वारिस या उत्तराधिकारी नहीं है उन्होनें अपने जीवनकाल में दिनांक 06.08.09 को कथित वसीयतनामा मन्दिर के हक में इस आशय का निष्पादित किया था कि उनकी मृत्यु के बाद उक्त खातेदारी की जमीन मन्दिर की मानी जावेगी। उक्त घोषणा अनुसार उक्त आराजीयात की खातेदारी मन्दिर श्री रणसिंह जी महाराज के नाम दर्ज की जानी आवश्यक है। समाज ने दिनांक 09.09.12 को प्रस्ताव सं0 3 द्वारा उक्त महन्त श्री नारायणदास की छोड़ी हुयी आराजी मन्दिर के नाम लगाने हेतु संस्थान के अध्यक्ष को अधिकृत किया है, अतः वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दस्तावेज सूची के साथ अखबर साया की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से राज पेरोकार नायब तहसीलदार फुलेरा उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

सं0 2 ने जवाब पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प नरायना में पेश हुयी। वादी ने उपस्थित होकर अखबार में प्रकाशन की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 2 तह0 फुलेरा को वसीयत के आधार पर मन्दिर रणसिंह जी महाराज विराजमान नरेना किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71, फोटो कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेमदास उर्फ नारायणदास दिनांक 06.05.15 को जारी शुदा, फोटो कॉपी कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 09.09.12 प्रस्ताव सं0 3, फोटो कॉपी वसीयतनामा दिनांक 06.08.09 पेश किये है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 1716 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 1717 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 1722 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 1726/5619 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 19 विस्वा वाकै नरायना प0ह0 नरायना ए व बी गिरदावर हल्का नरायना तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0 में नारायणदास चेला रामदास की छोड़ी हुयी को मुताबिक वसीयतानुसार वादी मन्दिर रणसिंह महाराज वाकै नरेना खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प नरायना मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

मन्दिर श्री रणसिंह जी महाराज बनाम आम जनता

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

मुकदमा नंबर 506/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागचन्द सांभरिया व हाजरी .. .. मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 1716 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 1717 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 1722 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 1726/5619 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 19 विस्वा वाकै नरायना प0ह0 नरायना ए व बी गिरदावर हल्का नरायना तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0 में नारायणदास चेला रामदास की छोड़ी हुयी भूमि को मुताबिक वसीयतानुसार वादी मन्दिर रणसिंह महाराज वाकै नरेना खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ....निज ..... मुबलिग..... बाबत्..... ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner